कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर

क्रमांक : रसद/एफ.पी.एस.नियुक्ति/विज्ञप्ति/2026/2187 दिनांक :09.06.2026

विस्तृत–विज्ञप्ति

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत खाद्य विभाग के पत्रांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं एफ 17(5)खा.वि./न्याय/महि.आर./2019 दिनांक 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशों के तहत जिले में उचित मूल्य की रिक्त दुकानों के लिए इच्छुक एवं पात्र व्यक्तियों तथा संस्थाओं यथा सहकारी समितियों, महिला समूह आदि से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश, 1976 के खण्ड 3(1) के तहत नवीन प्राधिकार पत्र जारी किये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है।

आवेदन पत्र किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय में जिला रसद अधिकारी कार्यालय से 100 रू. (अक्षरशः एक सौ रूपये) का चालान खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के मद संख्या 1475–00–800–04–02–खाद्य विभाग के माध्यम से में जमा कराकर प्राप्त किया जा सकेगा। आवेदन पत्र विहित रीति से भरे जाकर दिनांक 12.06.2026 से 25.06.2026 तक कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस में पात्रता संबंधी समस्त आवश्यक दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों व घोषणा पत्र के साथ कार्यालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर में जमा करवाये जा सकेंगे। रिक्त उचित मूल्य की दुकानों का विवरण निम्नानुसार हैं :–

जिला रसद अधिकारी (प्रथम) भरतपुर

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम पंचायत/वार्ड संख्या	वितरण केन्द्र ग्राम/वार्ड (पुराना)	एफपीएस कोड संख्या	आरक्षण की स्थिति
1	भरतपुर (शहर)	वार्ड संख्या 19	वार्ड संख्या 19	12713	महिला हेतु आरक्षित
2		वार्ड संख्या 32	वार्ड संख्या 32	12340	–
3		वार्ड संख्या 10	वार्ड संख्या 10	12196	–
4		वार्ड संख्या 16	वार्ड संख्या 16	12267	–
5		वार्ड संख्या 24	वार्ड संख्या 24	12583	–
6	भरतपुर (ग्रामीण)	कल्याणपुर	चकदारापुर–1	27423	महिला हेतु आरक्षित

जिला रसद अधिकारी (द्वितीय) भरतपुर

क्र. सं.	तहसील का नाम	ग्राम पंचायत/वार्ड संख्या	वितरण केन्द्र ग्राम/वार्ड (पुराना)	एफपीएस कोड संख्या	आरक्षण की स्थिति
1	भुसावर (शहरी)	वार्ड संख्या 10	वार्ड संख्या 10	25068	महिला हेतु आरक्षित

उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की पात्रताऐं निम्नानुसार होंगी :–

(1) शहरी क्षेत्र की उचित मूल्य की दुकान हेतु आवेदक उसी वार्ड का निवासी होना चाहिए, जिस वार्ड के उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण करनी है अर्थात उस उचित मूल्य दुकान की अधिकारिता क्षेत्र में स्थित वार्ड्स में से किसी एक वार्ड का निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की उचित मूल्य दुकान के मामले में आवेदक उसी पंचायत के किसी भी ग्राम या वार्ड का निवासी होना आवश्यक है जिस पंचायत में उचित मूल्य दुकान स्थित है। एक से अधिक योग्य आवेदन पत्रों के प्राप्त होने की स्थिति में वरीयता उसी वार्ड के निवासी को दी जायेगी जिसमें उचित मूल्य की दुकान स्थित है। उचित मूल्य दुकान हेतु सभी श्रेणी के आवेदको की आयु 21 से 45 वर्ष होनी चाहिए अर्थात उचित मूल्य दुकान के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अन्तिम तिथि को आवेदक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(2) आवेदक की शैक्षणिक योग्यता स्नातक एवं कम्प्यूटर में Rajasthan Knowledge Corporation Limited (RKCL) या अन्य समकक्ष सरकारी संस्थान का तीन माह का आधारभूत प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। यदि उचित मूल्य के दुकानों के आवेदकों में कोई भी आवेदक स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता नही रखता है, तो ऐसी स्थिति में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण आवेदकों के प्रार्थना पत्रों को भी आवंटन हेतु स्वीकार किया जा सकेगा। यदि आवेदक कम्प्यूटर में प्रशिक्षण प्राप्त नही हो तो आवेदन के साथ आवेदक से यह घोषणा पत्र

भी लिया जावेगा, कि वह चयनित होने के 06 माह की अवधि में ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त कर लेगा व ऐसे चयनित व्यक्तियों को प्रशिक्षण प्राप्ति के बाद ही प्राधिकार पत्र दिया जावेगा।

(3) उचित मूल्य दुकान हेतु आवेदन करने वाले पुरूष/महिला के दिनांक 01.01.2015 के बाद पैदा हुई संतान सहित दो से अधिक संतान नही होनी चाहिए। निर्धारित तिथि पश्चात दो से अधिक संतान होने की स्थिति में कोई भी व्यक्ति आवेदन का पात्र नही होगा। उचित मूल्य दुकान आवंटन होने के पश्चात भी यदि किसी उचित मूल्य दुकानदार के तीसरी संतान होती है तो ऐसे उचित मूल्य दुकानदार का प्राधिकार पत्र निरस्त करने योग्य होगा, परन्तु किसी आवेदक के दिनांक 31.12.2014 को एक ही संतान है तथा पश्चातवर्ती किसी एकल प्रसव से एक से अधिक संतानें पैदा हो जाती है, तो संतानों की गणना करते समय इस प्रकार एक प्रसव से पैदा हुई संतानों को एक इकाई ही समझा जाए।

(4) आवेदक को दुकान आवंटन के उपरान्त जिस वितरण स्थल पर वितरण हेतु अधिकृत किया जावेगा, वह स्थान कम से कम 30 फीट रोड पर स्थित होना चाहिए तथा उसका आकार 10X20=200 फीट न्यूनतम होना आवश्यक है। इस वितरण स्थल के तीन ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शें आवेदन पत्र के साथ संलग्न करने होंगे।

(5) आवेदक द्वारा निम्न बिन्दुओं को अंकित करते हुए एक घोषणा पत्र लिया जावेगा :—

(1) आवेदक पूर्व में ई.सी एक्ट के तहत दण्डित नही हुआ है।

(2) आवेदक द्वारा दुकान का संचालन स्वयं किया जावेगा।

(3) आवेदक के परिवार में किसी सदस्य यथा माता—पिता, पुत्र एवं पुत्री के नाम से पूर्व में कोई दुकान नही है।

(4) आवेदक को विधिक रूप से अयोग्य घोषित नही किया गया है।

(5) आवेदक बालिग एवं स्वस्थ चित है, चाल—चलन अच्छा है तथा कभी दिवालिया घोषित नही हुआ है।

(6) आवेदक द्वारा दिनांक 01.01.2015 के बाद दो से अधिक संतान नही होने का स्पष्ट कथन किया जायेगा।

(6) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र के साथ संबंधित तहसीलदार द्वारा जारी न्यूनतम 100000 रू. (एक लाख रूपये) का हैसियत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जावेगा। महिला स्वयं सहायता समूह के लिए कार्यक्रम अधिकारी, महिला अधिकारिता की अभिशंषा सहित समूह की वित्तीय हैसियत न्यूनतम 25000 रू. होना आवश्यक होगा।

(7) महिला स्वयं सहायता समूह जो राज्य सरकार के महिला अधिकारिता विभाग से चयनित अथवा मान्यता प्राप्त है। आवेदक महिला स्वयं सहायता समूह को तीन वर्ष का कार्यानुभव के आंकलन के निम्न आधार होंगे—

1 समूह का गठन कम से कम तीन वर्ष पूर्व का हो।

2 समूह का कम से कम तीन वर्ष पूर्व बैंक में खाता खुला हो।

3 समूह के सदस्य तीन वर्षो से आन्तरिक लेन—देन में संलग्न हो।

(8) आवेदक/समितियों/समूह/निकाय में सचिव/प्रबंधक का कम्प्यूटर दक्ष एवं शैक्षणिक योग्यताओं को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। इस बाबत प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

(9) ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्पस (बृहतर क्षेत्रीय बहुउदेशीय सहकारी समिति)/दुग्ध उत्पादन सहकारी समिति, जो कि सहकारी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है।

(10) प्रत्येक आवेदक अथवा पदाधिकारी (महिला स्वयं सहायता समूह/ग्राम सेवा सहकारी समिति/लैम्प्स/दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति के मामले में) को अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करनी होगी कि उसके घर में कार्यशील शौचालय है। उक्त प्रावधान उचित मूल्य दुकान आवंटन के लिए अनिवार्य अर्हता होगी।

उपरोक्त रिक्तियों के संबंध में विभागीय पत्रांक एफ 17(1)खा.वि./विधि/08 जयपुर दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 द्वारा जारी उचित मूल्य दुकानों के आवंटन के दिशा निर्देशों में वर्णित चयन प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही की जावेगी। दिनांक 17.03.2016 एवं 25.11.2020 के दिशा निर्देश तथा रिक्त उचित मूल्य की दुकानों के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं उचित मूल्य दुकानों के आवंटन हेतु आवेदनकर्ताओं की पात्रताओं के संबंध में जानकारी हेतु विभागीय वेबसाईट Food.raj.nic.in का अवलोकन करें अथवा कार्यालय जिला रसद अधिकारी, भरतपुर में सम्पर्क करें।

आवेदक द्वारा दी गई सूचनायें गलत पाये जाने पर आवंटन रद्द करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा। उक्त रिक्तियों में कमी/बढौतरी/संशोधन कार्यालय द्वारा किया जा सकता है तथा रिक्तियों को भरने/ना भरने के संबंध में कार्यालय का निर्णय अंतिम रहेगा।

9/6/26

(पवन अग्रवाल)
जिला रसद अधिकारी
भरतपुर

क्रमांक : रसद / एफ.पी.एस.नियुक्ति / विज्ञप्ति / 2026 / 2188- 2204 दिनांक :

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. श्रीमान प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज0 जयपुर।
2. श्रीमान अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज0 जयपुर।
3. श्रीमान उपायुक्त एवं उपशासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज0 जयपुर।
4. माननीया सांसद महोदया जिला भरतपुर।
5. माननीय विधायक महोदय, विधानसभा क्षेत्र भरतपुर, वैर–भुसावर।
6. ए.सी.पी. खाद्य विभाग जयपुर उक्त विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट Food.raj.nic.in पर अपलोड करवाने बाबत।
7. संयुक्त निदेशक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भरतपुर को जिले की वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
8. उपखण्ड अधिकारी भरतपुर, भुसावर।
9. विकास अधिकारी पंचायत समिति सेवर, भुसावर।
10. तहसीलदार भरतपुर, भुसावर।
11. प्रबंधक, खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम लि. भरतपुर
12. प्रवर्तन अधिकारी / निरीक्षक समस्त जिला भरतपुर
13. अन्य।
14. आदेश रक्षित पत्रावली।

9/6/26

जिला रसद अधिकारी
भरतपुर